

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:—प.2(4602)/डीओआईटी/संस्था/14

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 और स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 एवं F.15(88)FD/Rules/2017 दिनांक 27.02.2022 तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Pt. दिनांक 30.05.2022 व F.15(1)FD/Rules/2017 Pt. दिनांक 06.10.2023 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक को उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर सारणी में कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. पे मैट्रिक्स के लेवल-10 में स्वीकृत की जाती है:—

क्र. सं.	मेरिट नम्बर	कार्मिक का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	प्रथम ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	2819	प्रकाश नागर पुत्र श्री रूप नारायण नागर, सूचना सहायक	23.09.2013	23.09.2025	तीन बच्चों के कारण

उपर्युक्त सूचना सहायक का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के नियम 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हे:—

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्वीकृत नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
6. इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रामेश्वर लाल सोलंकी)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. संबंधित सूचना सहायक.....।
5. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी